संचालनालय एकीकृत बाल विकास सेवा, म.प्र.

''विजयाराजे वात्सल्य भवन'' 28 ए, अरेरा हिल्स, भोपाल
फोन : 0755-2550909, 2550910 फैक्स 0755-2550912
ई-मेल : commwcd@mp.nic.in बेबसाइड : www.mpwcd.nic.in, www.mpwcdmis.org

क्र./आई.सी.डी.एस/..1063../12-13 भोपाल दिनांक..15/03/2013

प्रति,

1. संभागीय संयुक्त संचालक
महिला एवं बाल विकास
समस्त संभाग म.प्र.

2. जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास
जिला–समस्त (म.प्र.)

विषयः–संशोधित MIS प्रशिक्षण हेतु संभाग/जिला/परियोजना/सेक्टर स्तरीय प्रशिक्षण में उपयोगी प्रशिक्षण सामग्री के प्रेषण के संबंध में।

भारत शासन द्वारा आंगनवाड़ी एवं विकासखंड पर उपयोग किये जा रहे, रिपोर्टिंग प्रपत्र एवं रिकार्डिंग रजिस्टर में बदलाव करते हुए नवीन रजिस्टर एवं रिपोर्टिंग प्रपत्र लागू किए जा रहे हैं। नवीन व्यवस्था में आंगनवाड़ी केंद्रों में 11 नवीन रजिस्टर्स का उपयोग किया जायेगा। ये समस्त रजिस्टर्स एवं गणना तालिका संचालनालय द्वारा समस्त परियोजनाओं को प्रेषित किये जा चुके हैं।

नवीन रजिस्टर्स एवं रिपोर्टिंग प्रपत्रों का उपयोग समस्त ICDS अमले को सघन प्रशिक्षण प्रदान किये जाने के उपरांत मई 2013 से आंगनवाड़ी स्तर पर प्रारंभ किया जाना है। प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रारूप एवं दिशा निर्देश पूर्व में संचालनालय के पत्र क्र. 995 दिनांक 07.03.2013 द्वारा जारी किये जा चुके हैं।

विभिन्न स्तर पर आयोजित प्रशिक्षणों में उपयोग होने वाले दस्तावेजों की सॉफ्टकॉपी निम्नानुसार आपको ई– मेल के माध्यम से प्रेषित की जा रही है। कृपया निर्देशों के अनुरूप ही प्रशिक्षणों का आयोजन कराने का कष्ट करें–

1. **फेसिलिटेटर्स मैन्युअल–** मास्टर फेसिलिटेटर्स द्वारा प्रशिक्षण को सुचारू रूप से संपादित करने हेतु फेसिलिटेटर्स मैन्युअल तैयार किया गया है। इसका उपयोग मास्टर फेसिलिटेटर्स विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षणों के दौरान किया जायेगा। समस्त संभागीय संयुक्त संचालक संभागीय प्रशिक्षणों के दौरान तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी जिला एवं सेक्टर स्तरीय प्रशिक्षणों के दौरान इस मैन्युअल को मास्टर फेसिलिटेटर्स को उपलब्ध करायेंगे।
2. **यूजर्स मैन्युअल–** यह मैन्युअल मूलतः आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं हेतु तैयार किया गया है। इसमें समस्त 11 नवीन रजिस्टर्स को उपयोग किये जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश का समावेश किया गया है। **ये मैन्युअल समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं हेतु राज्य स्तर से यथाशीघ्र उपलब्ध करा दिये जायेंगे।** समस्त संभागीय संयुक्त संचालक संभागीय प्रशिक्षणों के दौरान तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी जिला एवं सेक्टर स्तरीय प्रशिक्षणों के दौरान इस मैन्युअल को मास्टर फेसिलिटेटर्स को उपलब्ध करायेंगे।

3. **आंगनवाड़ी से कव्हर्ड क्षेत्र के मानचित्रण का प्रारूप**— समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नवीन परिवार सर्वे के पूर्व अपने आंगनवाड़ी द्वारा कव्हर्ड क्षेत्र में निवासरत् परिवारों को चिन्हित करते हुए परिवारों को एक कम से जमाते हुए एक नक्शा तैयार करेंगी। यह मानचित्र तैयार किये जाने हेतु मानचित्र प्रारूप का नमूना आपको प्रेषित किया जा रहा है।
4. **डाटा ट्रांसफर शीट**— सर्वे उपरांत परिवार सर्वे रजिस्टस सहित अन्य रजिस्टर्स में हितग्राहियों को सूचीबद्ध करने हेतु डाटा ट्रांसफर शीट का उपयोग किया जायेगा। **डाटा ट्रांसफर शीट समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं हेतु राज्य स्तर से यथाशीघ्र उपलब्ध करा दिये जायेंगे।** समस्त संभागीय संयुक्त संचालक संभागीय प्रशिक्षणों के दौरान तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी जिला एवं सेक्टर स्तरीय प्रशिक्षणों के दौरान डाटा ट्रांसफर शीट को मास्टर फेसिलिटेटर्स को उपलब्ध करायेंगे।
5. **विभिन्न स्तरों पर आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षणों हेतु कार्यक्रम**
6. **एजेंडा**— सभी स्तर पर आयोजित होने वाले प्रशिक्षणों में प्रशिक्षण के दौरान दिवसवार कव्हर की जाने वाली विषयवस्तु
7. **चैक लिस्ट**— विभिन्न स्तर पर प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन किये जाने के पूर्व की जाने वाली तैयारी का विवरण।

सहायक संचालक,
एकीकृत बाल विकास सेवा, म0प्र0

पृ0क्रमांक / एबाविसे / 2012 / 1064 भोपाल, दिनांक 15.03.2013

प्रतिलिपि—

1. संभागीय आयुक्त, समस्त संभाग म.प्र. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर जिला समस्त म.प्र. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत समस्त म.प्र. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक संचालक,
एकीकृत बाल विकास सेवा, म0प्र0